रजिस्टर्ड डाक द्वारा

संख्याः 01/2021/21 प्रो0/51-2021-14(10)/2019

प्रेषक,

अजय कुमार ओझा
उप सचिव,
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा।

मुख्यमंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊः दिनांक 07 जनवरी, 2021

विषयः जनपद-आगरा में पधारने वाले मा0 राज्य अतिथियों के सेवा-सत्कार आदि पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 587/प्रोटोकाल, दिनांक 16 दिसम्बर, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य अतिथि के परिवहन से संबंधित निम्न देयकों के भुगतान हेतु धनराशि रूपये 1,04,161=00 (रूपये एक लाख चार हजार एक सौं इक्सठ् मात्र) आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्रम सं0	मा0 राज्य अतिथि का नाम/पदनाम/यात्रा की तिथि/ वाहन संख्या/ देयक संख्या/ दिनांक	धनराशि
1-	प्रो0 राम शंकर कठेरिया जी, मा0 अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार। दिनांक 22-02-2020 से 25-02-2020, वाहन संख्या-यू0पी0-32, के0एन0-8990, देयक संख्याः आगरा/0015, दिनांक 20-05-2020 रू0 1,04,161=00	रू0 1,04,161=00
	(रूपये एक लाख चार हजार एक सौं इकसठ मात्र) कुल योग	**रू0 1,04,161=00**

2- उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना संबंधित कोषागार की डी0डी0ओ0 रिकान्सिलेशन स्टेटमेंट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये। उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नहीं किया जा रहा है। उक्त से संबंधित देयक मूलरूप में वापस किये जा रहे हैं।

3- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-'2053-जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएं-03-कलेक्ट्री स्थापनाएं-22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि' के नामें डाला जायेगा।

संलग्नकः (01 देयक मूलरूप में।)

भवदीय
अजय कुमार ओझा
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्याः 21(1) प्रो0/51-2021-14(10)/2019, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद।
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
3- कोषाधिकारी, आगरा।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, टिहरी कोठी परिवहन भवन, लखनऊ।
6- क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, आगरा।
7- कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से
अजय कुमार ओझा
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।